न्यायालय जिला कलक्टर पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई0ए0एस0

अपील संख्या 50/2018

अपीलाण्ट्स

1. उतमजीतसिंह पुत्र श्री दरबारा सिंह जाति सिख राजपुत निवासी 119, ज्योति नगर, 100 फीट रोड़ पार्क के पास, शोभागपुरा गिर्वा उदयपुर राजस्थान।
2. मनप्रित कौर पुत्री श्री दरबारा सिंह पत्नी श्री हरपालसिंह जाति सिख राजपुत निवासी अशोक नगर, उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर राजस्थान।
3. परमजीत कौर पुत्री श्री दरबारा सिंह जाति सिख राजपुत निवासी अशोक नगर, उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर राज

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

स्व. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री प्रेमराज जाति जैन निवासी जोधपुर के उतराधिकारी वारिसान

1. संजय जैन पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश,
2. सौरभ जैन पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश,
3. रूप कंवर पत्नी श्री ओमप्रकाश जातिगण जैन निवासीगण पुलिस लाईन के सामने, सती माता मंदिर के पास वाली गली, प्रकाश भवन रातानाडा जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
4. बुधराज पुत्र श्री प्रेमराज जाति जैन निवासी हनुमान मंदिर के पास वाली गली, घोड़ो का चौक, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
5. पुसाराम पुत्र श्री अन्नाराम
6. सावलराम पुत्र श्री अन्नाराम
7. थानाराम पुत्र श्री हेमाराम
8. अम्बाराम पुत्र श्री हेमाराम जातिगण जाट निवासीगण तनावड़ा तहसील व जिला जोधपुर
9. कैलाशमल सिंघवी
10. महेन्द्रमल सिंघवी
11. सुरेशमल सिंघवी पिसरान मुन्नीलाल जी सिंघवी जातिगण जैन ओसवाल निवासीगण भगत की कोटी

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

विस्तार, पाली रोड़ जोधपुर।

12. कंचन मेहता पुत्री श्री मुन्नीलाल जी,
13. रूचि जैन पुत्री श्री कैलाश सिंघवी,
14. विमला सिंघवी पत्नी श्री रमेश सिंघवी
15. राहुल सिंघवी
16. रौनक सिंघवी
17. रौनम सिंघवी पिसरान रमेश सिंघवी जातिगण ओसवाल जैन निवासीगण झ–4, भगत की कोटी, पाली रोड़, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
18. नायब तहसीलदार, पाली तहसील व जिला पाली
19. तहसीलदार रोहट तहसील रोहट जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75(1)(डी) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :

श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक, वादीगण

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 17 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 20.12.2018

———0———

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कर ग्राम खारडा तहसील रोहट के नामान्तरकरण संख्या 689 नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृति आदेश दिनांक 24.04.1977 के विरूद्ध प्रस्तुत की तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 17 बावजूद सम्मन तामील के

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अनुपस्थित रहे। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 17 के विरूद्ध प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि सरहद मौजा ग्राम खारड़ा तहसील रोहट जिला पाली राज. में वादीगण के पिता दरबारासिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह जाति सिख राजपुत निवासी उदयपुर की खरीदसुदा, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है, जिसके खसरा सं. 233 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा, जिससे बने खसरा नम्बर 233 रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा व खसरा सं. 233/1 रकबा 15 बीघा, खसरा सं. 234 रकबा 16 बीघा, खसरा सं. 235 रकबा 34 बीघा 8 बिस्वा, खसरा सं. 237/2(237/6) रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं. 387/1 रकबा 34 बीघा 6 बिस्वा से निर्मित खसरा नम्बर 387/3 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा व खसरा सं. 749/387 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा कुल खसरा 7 जिसका कुल रकबा 114 बीघा 12 बिस्वा है। उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता के द्वारा पूर्व के प्रिसिंपल विक्रेताओं से अलग अलग बेचान रजिस्ट्री के जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। अपीलाण्ट के पिता दरबारासिंह द्वारा अपने जीवनकाल में बसन्त कवंर से विवाह किया, जो उनकी प्रथम विवाहिता पत्नी थी, किन्तु बसन्त कंवर से किसी प्रकार की संतान प्राप्ति नही होने पर दरबारासिंह जी के द्वारा अपनी पत्नी बसन्त कंवर की सहमति से अपने वंश को कायम रखने हेतु वादीगण की माता श्रीमती प्रेमलता कौर से माफिक जाति रिति रिवाज एवं समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार विवाह किया। दरबारासिंह जी एवं प्रेमलता कौर के दाम्पत्य जीवन के निर्वहन से तीन जाईन्दा संतान दो पुत्री एवं एक पुत्र का जन्म हुआ, जो अपीलाण्ट हैं। दरबारासिंह जी की र्निवसीयती मृत्यु दिनांक 21/01/1975 को हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु से पूर्व बसन्त कंवर का स्वर्गवास दिनांक 05/05/1974 को हो चुका था। जिनके स्वर्गवास के पश्चात दरबारासिंह जी की खरीदसुदा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के एकमात्र मालिक अपीलाण्टगण ही थे। लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता/पति व प्रेमचन्द पुत्र श्री शिवलाल जैन तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 5 बुधाराम के द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत व सांठ गांठ कर यह जानते हुए कि "बसन्त कंवर का स्वर्गवास हो चुका है, उसके बावजूद भी दरबारासिंह जी का फौतेदगी नामान्तरण संख्या 689 मृतक बसन्त कंवर के नाम दर्ज करवा कर दिनांक 24/04/1977 को रेस्पोडेण्ट संख्या 18 के द्वारा विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया। वादग्रस्त आराजीयात अपीलाण्टगण के पिता श्री दरबारासिंह जी की खरीदसुदा, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी। जो कि राजस्व रेकर्ड से बखुबी स्पष्ट है तथा श्री दरबारासिंह जी का र्निवसीयती स्वर्गवास दिनांक 21/01/1975 को हो चुका था तथा इनके स्वर्गवास के पूर्व बसन्त कौर का स्वर्गवास दिनांक 05/05/1974 को हो चुका था इनके पश्चात हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान मात्र अपीलाण्टगण ही थे। इनके अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान नही थे, इसलिये दरबारासिंह जी की उपरोक्त कृषि भूमि अपीलाण्टगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी चाहिये थी, लेकिन राजस्व अधिकारियें के द्वारा दरबारासिंह जी के विधिक वारिसान की बिना जांच किये, एवं बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये, प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित ओमप्रकाश, प्रेमराज,

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

बुधाराम से मिलीभगत कर मृतक बंसन्त कंवर के अकेले के नाम नामान्तरण दर्ज करवा दिया। जबकि वक्त नामान्तरण बसन्त कंवर का भी स्वर्गवास हो चुका था, इसलिये उक्त नामान्तरण विधि विरूद्ध एवं दस्तावेजो के विपरित होने से नामान्तरण जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तरण संख्या 689 में ओमप्रकाश, प्रेमराज जी के द्वारा बसन्त कंवर के नाम नामान्तरण दर्ज नहीं होने से पूर्व ही अपने नाम बेचान रजिस्ट्री निष्पादित कर नामान्तरण दर्ज करवा दिया गया। जबकि फौतेदगी नामान्तरण एवं बेचान का नामान्तरण विधि अनुसार अलग अलग दर्ज किया जाना चाहिये था। जिसका नोट स्वयं रेस्पोडेण्ट संख्या 18 तत्कालीन नायब तहसीलदार पाली के द्वारा उक्त नोट अंकित किया गया है। उपरोक्त नामान्तरण में उपरोक्त सम्पूर्ण वर्णित कृषि भूमि दरबारासिंह जी की दर्ज सुदा हैं, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता/पति के द्वारा अपने स्वयं को फायदा पहुंचाने के आशय से मृतक बसन्त कंवर के नाम नामान्तरण दर्ज करवा कर बसन्त कंवर के स्थान पर उसी दिन, उसी नामान्तरकरण में अपने स्वयं के नाम दर्ज करवा दिया, जो नामान्तरण अपीलाण्ट के हक अधिकारों के विरूद्ध बेअसर एवं शून्य है क्योंकि वक्त नामान्तरण अपीलाण्टगण का जन्म हो चुका था जो कि दरबारासिंह जी के विधिक उतराधिकारी थे। विधिक उतराधिकारी होने के नाते दरबारासिंह जी के स्थान पर अपीलाण्टगण का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था तथा नामान्तरण दर्ज किये जाने से पूर्व अपीलाण्टगण को नोटिस जारी कर अपीलाण्टगण को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात एवं दरबारासिंह जी के विधिक वारिसान की जांच कर नामान्तरण दर्ज किया जाना चाहिये था, लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 18 तत्कालीन नायब तहसीलदार के द्वारा नामान्तरण दर्ज किये जाने से पूर्व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाण्टगण का नाम दर्ज किये बिना उक्त नामान्तरण 689 स्वीकृत किया गया। जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात ओमप्रकाश, प्रेमराज एवं बुधाराम के द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का अन्य व्यक्तियो को बेचान किया गया, जिन अवैध बेचान दस्तावेजात के आधार पर खरीददार व्यक्तियों के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवा दिया गया जो कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेण्ट संख्या 6 लगायत 17 है, जिनको उक्त बेचान के आधार पर किसी प्रकार के कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। जो सम्पूर्ण बेचान एवं नामान्तरण अपीलाण्टगण के हक अधिकारों के विरूद्ध बेअसर एवं शून्य होने से नामान्तरण संख्या 689 जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्टगण के पिता दरबारासिंह जी के निवसीयती स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उनकी तमाम सम्पति में अपीलाण्टगण का हक एवं अधिकार उत्पन्न हो चुका था। इसलिये दरबारासिंह जी के स्वर्गवास के पश्चात उनकी खातेदारी कृषि भूमि में अपीलाण्टगण का नाम बतौर विधिक उतराधिकारी होने के नाते दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन राजस्व अधिकारियों के द्वारा ऐसा नही कर एकमात्र मृतका बसन्त कंवर के नाम नामान्तरण दर्ज कर दिया, जबकि राजस्व अधिकारियों के द्वारा मृतक व्यक्ति के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक करने का कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नही था। उसके बावजूद राजस्व अधिकारियों के द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाते हुए विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाण्टगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज न कर एकमात्र बसन्त कंवर के नाम दर्ज करवा कर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता/पति, प्रेमराज एवं बुधाराम

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

का नाम फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज के आधार पर तस्दीक कर स्वीकृत किया गया, जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तरण तस्दीक एवं स्वीकृत किये जाने से पूर्व नामान्तरण पर बेचान एवं फौतेदगी म्यूटैशन एक साथ दर्ज नहीं होने का नोट अंकित किया गया, जिसमें यह भी अंकित किया गया कि उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा दरबारासिंह जी के पीछे बसन्त कंवर को बतलाया गया, लेकिन उपस्थित व्यक्तियों के बतौर मौतबीर नामान्तरण पर कोई हस्ताक्षर एवं नाम अंकित मौजूद नही है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ओमप्रकाश एवं प्रेमराज के द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलिभगत कर अपीलाण्टगण को छुपाते हुए अपने नाम से नामान्तरण तस्दीक करवा दिया गया, जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तरण के तस्दीक एवं स्वीकृत होने की किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी, जब अपीलाण्टगण के द्वारा दिनांक 01/10/2018 को अपनी पैतृक कृषि भूमि की सार सम्भाल एवं अपना भोग प्राप्त करने हेतु ग्राम खारड़ी पहुंचे तो कृषको के द्वारा भोग देने से साफ इंकार कर अपने स्वयं के हक एवं मालिकाना की होना बताया जिसमें अपीलाण्टगण का नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी दी जिस पर अपीलाण्टगण के द्वारा तमाम राजस्व रेकर्ड व अपीलाधीन म्यूटेशन की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 20/10/2018 को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि दरबारासिंह जी की मृत्यु के बाद अपीलाण्टगण का नाम खातेदारी दर्ज न करे मृतका बसन्त कंवर के नाम अकेले के नाम नामान्तरण विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज कर उसी दिन ओमप्रकाश, प्रेमराज, बुधाराम के नाम अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक कर दिनांक 24/04/1977 को स्वीकृत किया गया। अपीलाण्टगण को पूर्व से उक्त नामान्तरण स्वीकृत किये जाने की किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी तथा अपीलाण्टगण को जानकारी होते ही बिना विलम्ब के अपील न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। क्योंकि उक्त जैर अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध बेअसर एवं शुन्य एवं निष्प्रभावी है। इसलिये ऐसे नामान्तरण को निरस्त करवाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के भी यह विधि सुस्थापित है कि ऐसे मामलो को म्याद के प्रावधान प्रभावित नहीं करते हैं फिर भी अपीलाण्ट के द्वारा उक्त नामान्तरण को अपास्त करने में लगे समय को कण्डोन हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा खारड़ा तहसील रोहट के म्यूटेशन संख्या 689 दिनांक 24/04/1977 को निरस्त करवाये जाने का आदेश प्रदान कर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में अपीलाण्टगण के नाम नामान्तरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

बहस पर मनन किया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार रोहट द्वारा दिनांक 24.04.1977 को स्वीकृति आदेश पारित किया गया है, जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 31.10.2018 को प्रस्तुत की गई है, जो आदेश पारित होने के लगभग 41 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, अपीलाण्ट के अधिवक्ता की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

अब प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर देखा जाता है, तो निम्न स्थिति प्रकट होती है कि प्रश्नगत आराजी ग्राम खारडा के खसरा नम्बर 233 रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा की भूमि रूपा पुत्र सुजा कौम खारोल की खातेदारी भूमि थी, जो जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 24.02.1967 के दरबारासिंह पुत्र इसरसिंह जाति सिख राजपूत निवासी उदयपुर द्वारा क्रय की गई, जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 140 के दरबारसिंह के नाम दर्ज की गई। इसी प्रकार ग्राम खारडा के खसरा नम्बर 234 रकबा 16 बीघा तथा खसरा नबर 155 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा की भूमि हंसा पुत्र गीगा कौम खारोल की खातेदारी भूमि थी, जो दरबारसिंह पुत्र इसरसिंह द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 12.06.1967 को क्रय की गई, जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 139 के दरबारसिंह के नाम दर्ज किया गया। खसरा नम्बर 60 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा की भूमि ढलिया पुत्र चौथा कोम कलाल की खातेदारी भूमि थी, जिसे दरबारसिंह द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 07.06.1969 के क्रय करने के कारण जरिये नामान्तरकरण संख्या 153 के दरबारसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। खसरा नम्बर 387/1 की भूमि पदमचंद पुत्र सूरजमल जाति ओसवाल निवासी रोहट की खातेदारी भूमि थी, जो दरबारसिंह द्वारा दिनांक 26.06.1968 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की गई, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 141 के जरिये क्रेता दरबारसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 235 रकबा 34 बीघा 8 बिस्वा की भूमि रामसिंह पुत्र गंगासिंह की खातेदारी भूमि थी, जिसे दरबारासिंह द्वारा दिनांक 23.11.1966 द्वारा क्रय करने के कारण जरिये नामान्तरकरण संख्या 92 के दरबारासिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इससे यह प्रमाणित होता है कि विवादित आराजी दरबारसिंह की खरीदसुदा स्व–अर्जित सम्पति थी। अपीलाण्टगण द्वारा स्वयं को दरबारासिंह के विधिक वारिशान होना बताते हुए हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा दरबारसिंह के वारिशान होने के सम्बन्ध में परिवार कार्ड संख्या 294 की प्रति, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) (शहर) उदयपुर द्वारा जारी निर्वाचक नामावली वर्ष 1995 की प्रति, स्वयं का शपथ पत्र, सचिव श्री सचखंड संस्थान उदयपुर द्वारा दरबारासिंह का सजरा खानदान की प्रति, माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहर (उत्तर) उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 149/96 श्रीमती प्रेमलता पत्नी दरबारासिंह बनाम राजस्थान राज्य वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.07.1996 की प्रति, विकास अधिकारी पंचायत

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

समिति सलुम्बर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/3719 दिनांक 04.09.1996 की प्रति, पेंशनर परिचय पत्र की प्रति, प्रेमलता कौर के मेडिकल प्रमाण पत्र की प्रति, अपीलाण्ट्स का आधार नामांकन की प्रतियां, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड की प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रतियां तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंकतालिका की प्रतियां प्रस्तुत की है। चूंकि उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रकरण में प्रश्नगत आराजी दरबारासिंह की स्व–अर्जित सम्पति थी। अब जहां तक दरबारासिंह के विधिक वारिशान का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में जो सजरा खानदान प्रस्तुत हुआ है, उसके अवलोकन अनुसार दरबारासिंह पुत्र ईश्वरसिंह के दो पत्नीयां क्रमशः बसन्त कौर एवं प्रेमलता कौर थी, जिनमें से बसन्त कौर दिनांक 05.05.1974 को लाऔलाद फौत हो चुकी है तथा द्वितीय पत्नी प्रेमलता कौर का देहान्त दिनांक 18.08.2017 को हुआ है। इनके अतिरिक्त दरबारासिंह के एक पुत्र उत्तमजीतसिंह एवं दो पुत्रियां परमजीत कौर एवं मनप्रीत कौर है, जो अपील हाजा में अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट के शैक्षणिक दस्तावेज, माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहर (उत्तर) उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 149/96 श्रीमती प्रेमलता पत्नी दरबारासिंह बनाम राजस्थार राज्य वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.07.1996 एवं अन्य राजकीय दस्तावेजात्, जो पहचान हेतु आवश्यक है, में अपीलाण्ट की वल्दियत दरबारासिंह अंकित है, जिस पर संदेह का कोई कारण नहीं है। चूंकि रेस्पोडेन्ट्स प्रकरण में Contest हेतु उपस्थित नहीं हुए है तथा न ही अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है। इन समस्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट दरबारासिंह के पुत्र एवं पुत्रियां होने के कारण दरबारासिंह के विधिक वारिशान है तथा प्रकरण में विवादित आराजी में अपना हक अधिकार रखते हैं। चूंकि दरबारासिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि का कोई विक्रय हस्तान्तरण नहीं किया था, इस कारण अपीलाण्ट का अपने पिता दरबारासिंह की भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है। दरबारासिंह पुत्र ईश्वरसिंह दिनांक 21.01.1975 को फौत हुआ, जिसकी ताईद दरबारासिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है एवं बसन्त कौर पत्नी दरबारासिंह इससे पूर्व ही दिनांक 05.05.1974 को फौत हो चुकी थी, जिसकी ताईद बसन्त कौर के मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। दरबारासिंह फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण दायर होने से पूर्व ही तथाकथित बसन्त कौर द्वारा दिनांक 03.02.1976 एवं नामान्तरकरण दायर होने के पश्चात दिनांक 25.04.1977 को विवादित आराजी का बेचान हस्तान्तरण कर दिया। प्रथमतः तो बेचान दिनांक 03.02.1976 का इस कारण विधि सम्मत नहीं था, क्योंकि उस समय भूमि के टाईटल विक्रेता के नाम थे ही नहीं, इस कारण उक्त बेचान दिनांक 03.02.1976 विधि विरूद्ध था। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से जब दिनांक 05.05.1974 को ही बसन्त कौर फौत हो चुकी थी, तो उसके द्वारा उक्त दोनों ही विक्रय विलेख किस प्रकार निष्पादित किए गए, यह एक पृथक विषय है, जिस पर सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के जरिऐ साक्ष्यों के परीक्षण के पश्चात् ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। एक हद तक यह मान भी लिया जावे कि नामान्तरकरण संख्या 689 में अंकित प्रविष्ठि, जिसके जरिये फौतेदगी एवं बेचान का इन्द्राज साथ साथ किया गया, उसमें दरबारासिंह के वारिशान के तौर पर बसन्त कौर का नाम विधिवत इन्द्राज हुआ हो, तो भी यह गलत

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

है, क्योंकि बसन्त कौर के अतिरिक्त दरबारासिंह के एक पत्नी प्रेमलता कौर, पुत्र एवं दो पुत्रियां, जो वाद हाजा में अपीलाण्ट है, जिवित थे, जिनका नाम नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना समीचीन था, जो नहीं किया गया। इससे यह प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार पाली द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व न तो दरबारासिंह के विधिक वारिशान की जांच की एवं न ही ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई, जो राजस्थान भू राजस्व (लैण्ड रेकर्ड) रूल्स 1957 के नियम 119 से 140 की पालना में नामान्तरकरण को स्वीकृत करने में अपनाई जानी आवश्यक हो। यह सुस्पष्ट तथ्य है कि अपीलाण्ट मृतक दरबारासिंह के विधिक वारिशान है तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत अपीलाण्टगण अपने पिता की सम्पति में हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। चूंकि दरबारासिंह के दो पत्नियां थी, उक्त दोनों का ही दरबारासिंह की सम्पति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 (1) के तहत दोनों ही पत्नीयों का एक हिस्सा बनता है। चूंकि बसन्त कौर वर्ष 1974 में एवं प्रेमलता कौर वर्ष 2017 में फौत हो चुकी है। इस कारण दरबारासिंह के विधिक वारिशान के तौर पर अपीलाण्ट ही जीवित है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित करने से पूर्व मृतक दरबारासिंह के विधिक वारिशान की समुचित जांच नहीं की गई। तद्नुसार जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार पाली द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम खारड़ा तहसील रोहट के नामान्तरकरण संख्या 689 पर नायब तहसीलदार पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.1977 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार रोहट को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक दरबारासिंह के विधिक वारिशान एवं निर्णय में उल्लेखित तथ्यों की जांच कर विधि सम्मत नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)